

50

हिमाचल प्रदेश विभागीय कानूनगो परीक्षा, फरवरी 2017
पेपर-1 भू-अभिलेख नियमावली (संशोधित)

समय: 3 घण्टे

पूर्णांक-100

नोट:- कुल पांच प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न अनिवार्य है।

प्रत्येक प्रश्न के समान अंक है।

प्रश्न-1 अन्तर स्पष्ट करें। (1) रिव्यू (Review)/रिविजन (Revision)

(2) मौरूसी/गैर मौरूसी

(4) (3) गैर मुमकिन आबादी/आबादी देह

(2) (4) महाल/उप-महाल

(3) (5) नक्शा वर्तन/वाजिब-उल-अर्ज

7) प्रश्न-2 एक मोहाल का भू-सर्वेक्षण के दौरान अभिलेख तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करें।

8) प्रश्न-3 हिमाचल प्रदेश में अकृषकों को भू-हस्तांतरण सम्बन्धी प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्या वर्तमान प्रावधान नियमों की अवहेलनाओं को रोक पाए हैं?

15) प्रश्न-4 उन प्रकरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें जिनमें इन्तकाल तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं होती। फर्द बदर द्वारा किन प्रविष्टियों को बदला जा सकता है?

18) प्रश्न-5 दो बन्दोबस्तों के मध्य शजरे को किस तरह अद्यतन (update) किया जाता है। विस्तारपूर्वक उल्लेख करें।

प्रश्न-6 सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हाल में राकने के क्या-क्या प्रयास हुए हैं? इस संदर्भ में न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के प्रभाव का भी उल्लेख करें।

प्रश्न-7 भू-अभिलेख के कम्प्यूटराइजेशन की दिशा में उठाए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालें। इस प्रक्रिया की उपयोगिता व संभावित लाभ दर्शाएँ।